3. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राऊत, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9 (1) के तहत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-III-ए में सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.---जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/विधि, दिनांक 8 नवम्बर 2007 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर, क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व संभाग के भीतर
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
3.	संयुक्त संचालक, (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
4.	सहायक संचालक, (जीवनांक) आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
5.	राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी.	रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये उनके अधीनस्थ चिकित्सालय.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/E & P dated 8th November 2007, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as Divisional Chief Registrar, Assistant Additional Chief Registrar, Joint Chief Registrar, Assistant Chief Registrar and Registrar respectively as specified in the column No. (3) within the jurisdiction as specified in the column No. (4) of the Table given below to strengthen the Civil Registration System. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Divisional Commissioner	Divisional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue Division.
2.	Chief Executive Officer District Panchayat.	Assistant Additional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue District.
3.	Joint Director (vital), Directorate of Economics and Statistics.	Joint Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
4.	Assistant Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Assistant Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
5.	Officers in charge of all Government Hospitals in the state having 30 or more beds.	Registrar (Births and Deaths)	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and still Births.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा ग्राम कोटवारों को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिये, आगामी आदेश तक सूचनादाता नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969), the State Government, heerby appoints the Anganbadi Workers, Anganbadi Assistants and Gram Kotwars of Rural area as notifier till the next order, within the limits of their working area for the registration of births and deaths occurred in home. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.